



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना स्योहारा

दिनांक 08.12.2025

**थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 461/2025 धारा 13G एक्ट से संबंधित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।**

### संक्षिप्त विवरण-

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तगण 1. केशव पुत्र नरेन्द्र नि0 ग्राम नेजोवाली गावड़ी थाना नगीना जनपद बिजनौर, 2. हनीफ पुत्र सद्दीक नि0 मौ0 कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर, 3. समीर पुत्र निजामुद्दीन मौ0 शेखान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर, 4. मो0 आफताब पुत्र जहीर नि0 मो0 खालिकनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर एवं 5. मुन्ना पुत्र दुर्गा सिंह नि0 मौ0 खालिकनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 8770/- रुपये नगद व एक डायरी पर्चा सट्टा व एक पैन नीला, आदि सामान सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 461/2025 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. केशव पुत्र नरेन्द्र नि0 ग्राम नेजोवाली गावड़ी थाना नगीना जनपद बिजनौर
2. हनीफ पुत्र सद्दीक नि0 मौ0 कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. समीर पुत्र निजामुद्दीन नि0 मौ0 शेखान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
4. मो0 आफताब पुत्र जहीर नि0 मो0 खालिकनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
5. मुन्ना पुत्र दुर्गा सिंह नि0 मौ0 खालिकनगर कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

### आपराधिक इतिहास -

1. केशव पुत्र नरेन्द्र ग्राम नेजोवाली गावड़ी थाना नगीना जनपद बिजनौर
  1. मु0अ0सं0 72/2025 धारा 13 जुआ अधि0 थाना नगीना
  2. मु0अ0सं0 106/2025 धारा 13 जुआ अधि0 थाना नगीना
  3. मु0अ0सं0 461/2025 धारा 13 जुआ अधि0 थाना नगीना
2. समीर पुत्र निजामुद्दीन नि0 मौ0 शेखान कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
  1. मु0अ0सं0 631/2022 धारा 13 जुआ अधि0
  2. मु0अ0सं0 461/25 धारा 13 जुआ अधि0

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ०नि० हरिओम सिंह
2. हे०का० 360 बृजपाल
3. हे०का० 716 हरिपाल
4. का० 310 बब्लू
5. का० 1694 पंकज
6. हो०गार्ड 1717 अनिल कुमार



### प्रेसनोट

थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

दिनांक 08.12.2025

**थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 366/2025 धारा 110/115(2)/352/351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.09.2025 को वादिनी राधा पत्नी राकेश कुमार निवासी ग्राम महमूदपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.सुरेश पुत्र लेखराज 2.रूपेश पुत्र सुरेश 3.नरेश पुत्र लेखराज 4.प्रशान्त पुत्र नरेश निवासीगण ग्राम महमूदपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी व उसके पति व बच्चों के साथ गाली-गलौच व लाठी-डण्डो व धारदार हथियारों के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी।



इस संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 366/25 धारा 110/115(2)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही-

आज दिनांक 08.12.2025 को स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त नरेश पुत्र लेखराज निवासी ग्राम महमूदपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नरेश पुत्र लेखराज निवासी ग्राम महमूदपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1.उ0नि0 श्री यशदेव शर्मा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 162 मेमपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3.का0 2501 शिवम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



## जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना अफजलगढ

दिनांक 08.12.2025

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 353/2025 धारा 196 बीएनएस व 67 आई0टी0 एक्ट से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

### कार्यवाही विवरण-

दिनांक 07.12.2025 को मौ0 अफजल पुत्र आरिफ इकबाल उर्फ कलवा निवासी ग्राम कासमपुरगढी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर के द्वारा अपनी इन्सटाग्राम आई0डी0 से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई । उक्त सम्बन्ध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 353/2025 धारा 196 बीएनएस व 67 आई0टी0 एक्ट में पंजीकृत किया गया । थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा



अभियुक्त मौ0 अफजल पुत्र आरिफ इकबाल उर्फ कलवा निवासी ग्राम कासमपुरगढी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 126/135/170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अफजल पुत्र आरिफ इकबाल उर्फ कलवा निवासी ग्राम कासमपुरगढी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम--

- 1.थानाध्यक्ष श्री रामप्रताप सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 3.का0 1414 राजीव कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 4.का0 572 शुभम कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ़

दिनांक 08.12.2025

**थाना अफजलगढ़ पुलिस ने 01 अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।**

### कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक आज 08.12.2025 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त रविन्द्र पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम अलियारपुर थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 352/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रविन्द्र पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम अलियारपुर थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।

### बरामदगी का विवरण:-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. श्री रामप्रताप सिंह थानाध्यक्ष अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।
2. का0 615 विनय कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।
3. का0 969 सचिन कुमार थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।





## प्रेस नोट

**थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर दि०- 08.12.2025**

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु०अ०स० 247/2025 धारा 65(2),115(2),351(2) बी०एन०एस० व धारा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.12.2025 को वादी द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त टीकू उर्फ जिया पुत्र अतरपाल सिंह निवासी ग्राम शाहपुर सैदू थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी गयी।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०स० 247/2025 धारा 76/351(2) बी०एन०एस० व धारा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 76 बीएनएस का लोप कर धारा 65(2),115(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।



### कार्यवाही-

आज दिनांक 08.12.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त टीकू उर्फ जिया पुत्र अतरपाल सिंह निवासी ग्राम शाहपुर सैदू थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

### अभियुक्त का नाम व पता-

टीकू उर्फ जिया पुत्र अतरपाल सिंह निवासी ग्राम शाहपुर सैदू थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

### अपराधिक इतिहास

- 1.मु०अ०स० 63/2017 धारा 376 भादवि, धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम व धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
- 2.मु०अ०स० 247/2025 धारा 65(2),115(2),351(2) बीएनएस व धारा 5(m)/6 पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.श्री प्रवेज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 2.उ०नि० श्री सुभाष राणा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 3.का० 2246 देशपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर



## प्रेस नोट

थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर दिनांक 08.12.2025

**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 234/2025 धारा 137(2)/64(1) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.11.2025 को वादी द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम बरुकी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया ।

इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 234/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया है । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अपहृता को दिनांक 03.12.2025 को सकुशल बरामद कर लिया गया तथा अभियोग में धारा 64(1) बी0एन0एस0 व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी ।



### कार्यवाही-

आज दिनांक 08.12.2025 थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम बरुकी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

धर्मेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम बरुकी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-श्री प्रवेज कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 2-का0 2059 अभय चौधरी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 3-का0 887 विपुल तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर